



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली



OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CON. DIV. PWD THARALI

Ph. No :- 01363-271224

e_mail :- pwdtharali@gmail.com

पत्रांक 436 / 36सी0

दिनांक 29 / 05 / 2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

विषय :- जनपद चमोली के अन्तर्गत परखाल-केदारकोट मोटर मार्ग के किमी0 13 के ग्राम कुश व कुशमहादेव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.753 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय पत्रांक संख्या 1028 / 36सी0 , दिनांक 10-07-2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में शासन द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों एवं धनराशि के जमा किये जाने की सूचना पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। दिनांक 07-05-2020 द्वारा ऑनलाईन ई0डी0एस0 के माध्यम से सूचना चाही गयी है। जिसे पुनः तैयार कर बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित है -

बिन्दु सं0	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	शर्त संख्या -01 के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल डांगतली सिविल सोयम भूमि के 3.506 है0 पर यथोचित क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु 3.506 है0 X 253322.00 = रू0 8,88,147.00 (रू0 आठ लाख अठ्ठासी हजार एक सौ सैंतालीस) की धनराशि जमा की जानी है एवं उक्त भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित किया जाना है।	आर0टी0जी0एस0 52019020500076921 दिनांक 05.02.19 के माध्यम से रू0 8,88,147.00 (रू0 आठ लाख अठ्ठासी हजार एक सौ सैंतालीस) की धनराशि जमा करा ली गई है। म्यूटेशन प्रपत्र (संलग्नक-1)
2	शर्त संख्या 02 के अनुपालन में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र 5-3/2007 एफ0सी0 दिनांक 5/2/2009 में उल्लिखित दरों के अनुसार क्षेत्र में प्रभावित वृक्षों की गणना के अनुसार प्रभावित क्षेत्र का हरियाली घनत्व 0.2 Open Forest ईको क्लास-V की निर्धारित धनराशि 6,57,000.00 X 1.753 = 11,51,721.00 (रू0 ग्यारह लाख इक्कावन हजार सात सौ इक्कीस मात्र) जमा की जानी है।	आर0टी0जी0एस0 52019020500076921 दिनांक 05.02.19 के माध्यम से 11,51,721.00 (रू0 ग्यारह लाख इक्कावन हजार सात सौ इक्कीस मात्र) की धनराशि जमा करा ली गई है। (संलग्नक-1-2)
3	शर्त संख्या -03 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की दर में जो बढ़ोत्तरी होती है, उसे जमा करने की बचनबद्धता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।	प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक 3-4)
4	शर्त संख्या 04 के अनुपालन में शर्तों की अनुपालन आख्या तथा समस्त देयकों के भुगतान Online Portal के माध्यम से ऑनलाईन किया जायेगा।	अनुपालन कर लिया गया है।
5	शर्त संख्या -05 के अनुपालन में सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सम्भव हो सड़क के किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip plantation की जायेगी। इस आशय का वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-5)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार 4-4 प्रति।

पत्रांक 436 / 36सी0

दिनांकित

प्रतिलिपि - सहायक अभियन्ता-प्रथम, लो0नि0वि0 थराली, चमोली को सूचनार्थ प्रेषित।

34/05/20

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
थराली, चमोली।
29-05-20
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
थराली, चमोली।
29-05-20

1. 49 to 61 (11) to 111 171 171

၆. ခုနစ် ဘယ် နံပါတ် နှစ် နှစ် ၄၄/၁၇-၁၈

[illegible]

9. आयोजित करने का नाम/मन्त्रालय

NET RTGS CHALLAN

NETT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 13-06-2017

Amount in Words : Twenty Lakh Thirty-Nine Thousand Eight Hundred and Sixty-Eight Rupees. Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may
Email: helpdesk_campa@corpbank.co.in

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
धराली, चमोली

Dr. 14.6:17

Amount

100,000.00

100.000.00

Signature
Officer

— आदेश —

(2)

834/360

सह/कमिप

जनपद चमोली के अन्तर्गत परखाल-कैदारकोट मोटर मार्ग के कि०मी० 13 से ग्राम कुश व कुश महादेव तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.753 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 3.506 है० सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव वन संरक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं०-08बी/यू०सी०पी०/06/195/2015/एफ०सी०/309 दिनांक 12.05.2016 की शर्त सं०-1 के अनुसार उप जिलाधिकारी थराली की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली के अन्तर्गत परखाल-कैदारकोट मोटर मार्ग के कि०मी० 13 से ग्राम कुश व कुश महादेव तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.753 है० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज में ग्राम डांगतोली प०वृ० हरमनी, तहसील नारायण बगड़ की सीमान्तर्गत चिन्हित ख०खा० सं०-10 के खसरा सं०-94 रकबा 4.775 है० भूमि मध्ये 3.506 है० सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं०-2173/XVIII(II) /2012-18 (120) /2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

~~प्रमुख सहायक~~
प्रमुख सहायक कमिप नारायण बगड़/कमिप
हस्ताक्षर एवं कमिप काव्यमक कोषाध्यक्ष हेतु प्रेषित (आशीष जोशी),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली

संख्या: 4890/छबोस-26 (2016-2017) गोपेश्वर: दिनांक: 26 जुलाई, 2017

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, थराली।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. भू-लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो० ने० वि० थराली।

अभिियन्ता
निर्माण खण्ड लो० ने० वि०
थराली, चमोली

जिलाधिकारी,
चमोली।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली



OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CON. DIV. PWD THARALI

Ph. No :- 01363-271224

e_mail :- pwdtharali@gmail.com

“प्रमाण पत्र”

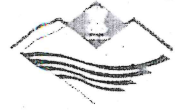
प्रमाणित किया जाता है कि शर्त संख्या -03 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
थराली, चमोली

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
थराली (चमोली)



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली



OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CON. DIV. PWD THARALI

Ph. No :- 01363-271224

e_mail :- pwdtharali@gmail.com

“प्रमाण पत्र”

प्रमाणित किया जाता है कि शर्त संख्या 05 के अनुसार सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जायेगी।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
थराली, चमोली

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
थराली (चमोली)